क्रम-संख्या–292

राजस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1––खंड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिसूचना)

लखनऊ, मंगलवार, 23 नवम्बर, 1976

अग्रहायण 2, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 4981/सत्रह-वि0-1-172-76

लखनऊ, 23 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) विधेयक, 1976 पर दिनांक 20 नवम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48, 1976]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

पथ-कर का उदग्रहण करने हेतु विकास प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने, और पहले से उद्गृहीत पथकर को विधिमान्य करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथ-कर) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 20 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "फीसें और प्रभार" के स्थान पर शब्द "फीस, पथ-कर और प्रभार" रख दिये जायेंगे।

धारा 39-क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

"39-क--प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के भीतर इस प्रकार अधिसूचित लोकप्रिय समागम स्थान के (जिसमें कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक सम्मिलित है) पहुंच मार्ग के लिये और अन्य सुख-सुविधा के उपयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथ-कर लगाने और परिदर्शकों से संग्रह करने का हकदार होगा :

पथ-कर

परन्तु....

(क) पथ-कर की दर प्रति परिदर्शक दो रुपये से अधिक न होगी ;

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग या वर्गों के परिदर्शकों को पथ-कर देने से छूट दे सकती है और ऐसा या ऐसे दिन नियत कर सकती है जब कोई पथ-कर नहीं लगाया जायगा।"

पहले से किये गये संग्रह का वैधीकरण

4--(1) इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा 39-क में निर्दिष्ट किसी लोकप्रिय समागम स्थान के किसी परिदर्शक से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी संग्रह को इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी मूल अधिनियम की धारा 39-क के अधीन किया गया संग्रह समझा जायगा और उसे विधिमान्य समझा जायगा और वह सदैव विधिमान्य रहेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, यदि संग्रह राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित दर से किया गया हो तो यह समझा जायगा कि उक्त धारा 39-क के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस आशय की आवश्यक अधिसूचनायें इस प्रकार जारी की गयी थीं, मानों उक्त धारा सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थी।

No. 4981 (2) /XVII-V-1--172-76

Dated Lucknow, November 23, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran (Path-Kar) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 48 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 20, 1976.

THE UTTAR PRADESH URBAN DEVELOPMENT AUTHORITIES (TOLL) ACT, 1976

[U. P. Act No. 48 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to empower Development Authorities to levy tolls, and to validate tolls already levied

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Development Authorities (Toll) Act, 1976.

2. In section 20 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (*c*), *for* the words "fees and charges" the words "fees, tolls and charges" shall be *substituted*.

Amendment of section 20 of President's Act no. 11 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.

3. *After* section 39 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Insertion of section 39-A.

"39-A. The Authority shall be entitled to charge and collect, toll, for the use of approach roads and other amenities, at such rate and in such manner as may be notified by the State Government, from visitors, to such places of popular resort (including any ancient and historical monuments) within its development area as may be so notified :

Toll for amenities.

Provided that—

(*a*) the rate of toll per visitor, shall not exceed rupees two ;

(*b*) the State Government may by notification, exempt any class or classes of visitors from the payment of the toll and may fix any day or days on which no toll shall be chargeable."

4. (1) Any collection by the Authority, from any visitor to any places of popular resort referred to in section 39-A of the principal Act, as inserted by this Act, made prior to the commencement of this Act, shall be deemed to have been made under section 39-A of the principal Act as inserted by this Act and shall be deemed to be and always to have been valid.

Validation of collections already made.

(2) For purposes of sub-section (1), if the collections were made at the rates approved by general or special order of the State Government it shall be deemed that necessary notifications were made to that effect by the State Government in accordance with the said section 39-A as if that section were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 378 सा०(विधा०)—1976—750 (मे०) ।